जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स युवराज सिंह राठौड, एम.एल. नम्बर 40/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000111168, क्षेत्रफल 7.4992 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,47,250 टी.पी.ए. (रोम) (सॉइल/ओबी–22,500 टी.पी.ए., मुर्रम–49,050 टी.पी.ए., बजरी–87,075 टी.पी.ए., सिलिका सेंड–46,575 टी.पी.ए., क्ले–1,09,575 टी.पी.ए. एवं रिजेक्ट–32,475 टी.पी.ए.), निकट ग्राम–झझू, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में स्थित है में बजरी, बॉल क्ले, सिलिका सेंड एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन झझू, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **07.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2025 को समाचार पत्र 'इ इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स युवराज सिंह राठौड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स एन्के एन्वायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड"** को आमंत्रित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स एन्के एन्वायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना, निकट ग्राम–झझू, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में बजरी, बॉल क्ले, सिलिका सेंड एवं मुर्रम के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका **रेफरेन्स नम्बर 202410000111168,** कुल खनन क्षेत्रफल **7.4992** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **3,47,250 टी.पी.ए. (रोम) (सॉइल/ओबी–22,500 टी.पी.ए., मुर्रम–49,050 टी.पी.ए., बजरी–87,075 टी.पी.ए., सिलिका सेंड–46,575 टी.पी.ए., क्ले–1,09,575 टी.पी.ए. एवं रिजेक्ट–32,475 टी.पी.ए.),** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री गुड्डू, निवासी झझू द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि क्षेत्र में स्थित कुछ सिलिका एवं बजरी धुलाई ईकाईयों द्वारा टैंकर के माध्यम से गन्दा पानी गाँव की सड़को पर डाल दिया जाता है जिससे कि कई बार बाइक सवार ग्रामवासी गिर कर घायल हो जाते है। श्री ईश्वरराम नायक, निवासी झझू ने भी श्री गुड्डू द्वारा दर्ज करवाई गई आपत्ति का समर्थन करते हुए कहा कि गाँव के पास स्थित सिलिका एवं बजरी धुलाई इकाईयों के प्रतिनिधियों को पाबन्द किया जाये कि वे उक्त गन्दे पानी का निस्तारण इधर–उधर न डाल कर सही तरीके से किया जाये ताकि जनहानि न हो।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसमूह का स्वागत करते हुए कहा गया कि क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना से सम्बन्धित आक्षेप/आपत्ति/सुझाव दर्ज करने उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना से क्षेत्र को होने वाले फायदे एवं ग्रामवासियों से प्राप्त आक्षेप/शंका/समस्या के आधार पर खनन परियोजना के प्रतिनिधि को निर्देश प्रदान करने तथा शंका/समस्या के समाधान करने हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को आश्वासन दिया गया कि गाँव में स्थित सिलिका एवं बजरी धुलाई इकाईयों का निरीक्षण जल्द ही सम्बन्धित विभागों के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा एवं गन्दे पानी को यत्र–तत्र डालने वाली इकाईयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को यह भी अवगत करवाया गया कि खनिज संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है एवं क्षेत्र, राज्य व देश के विकास हेतु इन खनिज संसाधनों का खनन किया जाना अत्यावश्यक है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को बताया गया कि जनसुनवाई आयोजित करने का मूल उद्देश्य गाँव में आने वाले नये उद्योगों/परियोजनाओं के बारे में स्थानीय ग्रामवासियों को जागरूक करना है जिससे कि उक्त परियोजनाओं से ग्रामवासियों को होने वाले लाभ अथवा हानि का उचित आंकलन किया जा सके। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा यह भी कहा गया कि प्रशासन द्वारा खनन ईकाईयों में खनन कार्य राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों एवं प्रावधानों के अनुरूप ही करवाया जायेगा, स्थानीय निवासियों से प्राप्त आक्षेप/आपत्ति/सुझावों पर प्राथमिकता से विचार कर स्थानीय निवासियों की समस्याओं का पूर्ण समाधान किये जाने का भरसक प्रयास किया जायेगा। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अन्य आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया।

श्री घम्मूराम नायक, सरपंच प्रतिनिधि झझू द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय से निवेदन किया गया कि खनन कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व ग्रामवासियों को इसके लाभ/हानि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी दी जाये। साथ ही श्री घम्मूराम नायक द्वारा ग्रामवासियों से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अन्य आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया।

तत्पश्चात श्री चतरराम निवासी झझू द्वारा आक्षेप किया गया कि गाँव में खनन इकाई से बजरी का खनन होता है उस पर सरकार द्वारा स्थानीय निवासीयो से भी रॉयल्टी वसूल की जाती है जो कि न्यायसंगत नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त जनसुनवाई प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की गई है। रॉयल्टी वसूली एक अलग विषय है जिस पर पृथक से चर्चा किया जाना उचित होगा। श्री चतरराम द्वारा पुनः आक्षेप किया गया कि खनन पट्टा धारकों द्वारा खनन कार्यों में स्थानीय ग्रामवासियों की उपेक्षा की जाती है एवं निजी मुनाफे हेतु बाहर से श्रमिक लाये जाते है। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को बताया गया कि नियमानुसार योग्यतानुरूप स्थानीय ग्रामवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है एवं इस सम्बन्ध में खनन पट्टा धारक को स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाने में उचित सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार को प्रस्तावित खनन ईकाई से सम्बन्धित जानकारी ग्रामवासियों को पुनः दिये जाने के निर्देश दिये।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में पुनः जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त जनसुनवाई हेतु राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों की समुचित पालना की जाती है एवं सभी नियमों का ध्यान रखते हुए ही पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार को गाँव के विकास, प्रदूषण की रोकथाम, रोजगार इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम हेतु 37 प्रतिशत भू–भाग पर वृक्षारोपण करने, योग्यतानुसार स्थानीय निवासियों को रोजगार देने एवं गाँव के विकास हेतु दिये जाने वाले सहयोग के बारे में पुनः जानकारी दी गई।

श्री ईश्वरराम नायक, निवासी झझू द्वारा आक्षेप लगाया गया कि उक्त खनन ईकाई से ग्रामवासियों को कोई फायदा नहीं होगा। खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य के दौरान खोदे जाने वाले खड्डो में स्थानीय निवासियों के पशु गिरकर मर जाते है एवं खनन इकाईयों द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है एवं न ही इनके द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। श्री ईश्वरराम नायक द्वारा यह भी आपत्ति की गई कि खनन इकाईयों द्वारा खनन के दौरान निकलने वाली मिट्टी को पास के खेतों में डाल दिया जाता है जिससे ग्रामवासियों के खेत नष्ट हो जाते है। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रशासन द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ मिल कर खनन ईकाई को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों एवं प्रावधानों के अनुसार ही खनन कार्य करने हेतु पाबन्द किया जायेगा एवं नियमों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स युवराज सिंह राठौड, एम.एल. नम्बर 40/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000111168, क्षेत्रफल 7.4992 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,47,250 टी.पी.ए. (रोम) (सॉइल/ओबी–22,500 टी.पी.ए., मुर्ररम–49,050 टी.पी.ए., बजरी–87,075 टी.पी.ए., सिलिका सेंड–46,575 टी.पी.ए., क्ले–1,09,575 टी.पी.ए. एवं रिजेक्ट–32,475 टी.पी.ए.), निकट ग्राम–झझू, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में स्थित है, में बजरी, बॉल क्ले, सिलिका सेंड एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.04.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन झझू, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–07.05.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	Rajesh Kr. Nayak	SDO, Kolayat	[signature]
2.	B. Kumar Meena	R.O. RSPCB. Bikaner.	[signature]
3.	लेखूराम नायक	सरपंच प्रतिनिधि	
4.	विक्रम सिंह	झाडला	[signature]
5.	शिवचरण	जयपुर	[signature]
6.	[illegible]	[illegible]	[signature]
7.	हनुमान	झझू	हनुमान
8.	दूलाराम	झझू	दूलाराम
9.	रामकिशन कोडेचा	झझू	रामकिशन कोडेचा
10.	Jagdish Ramawat	Jha Jhu	[signature]
11.	भोगाराम	झझू	भोगाराम
12.	मघाराम	झझू	मघाराम
13.	अशोक चांडक	बीकानेर	अशोक चांडक
14.	ठाकुर मोहन	झझू	[signature]
15.	अमानाराम	झझू	[signature]

16.	कंवरलाल	महेशपुरा	कंवरलाल
17.	गणेश भार्गव	झाझू	[illegible]
18.	सुनील कुमार	झाझू	सुनील
19.	सहीराम	चक श्री विजय सिंहपुरा	सहीराम
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21.	रतनलाल	झाझू	[illegible]
22.	हरिश्चन्द्र	झाझू	हरिश्चन्द्र
23.	चतराराम	झाझू	चतराराम
24.	Dr A S Rathore	Jhajhu [illegible]	[illegible]
25.	Suyash Awasthi	EESPL- Jaipur	[illegible]
26.	Bharat Sahu	EESPL - Jaipur	Bharat Sahu
27.	Guddu	झाझू	[illegible]
28.	[illegible] शर्मा	[illegible]	[illegible] शर्मा
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			